**उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यशाला बरेली, टायरशॉप बरेली एवं पुराना बस स्टेशन पर साईलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा।**

परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या 702 एमटी 2015–60एमटी/94 (III) दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुक्रम में बरेली क्षेत्र के निम्नलिखित डिपो कार्यशालाओं एवं बस स्टेशनो के नाम के सम्मुख अंकित क्षमता के **साइलेन्ट फीचर जनरेटर सेट नया एवं ब्राण्डैड** (किर्लोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड, महिन्द्रा एवं जैक्सन आदि) किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पार्टियॉ निम्न शर्तो के आधार पर 03 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर जनरेटर लगाये जाने हेतु अपनी निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पर दिनांक 23.02.2019 को समय 14.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत कर सकते है तथा 23.02.19 को समय 15.00 बजे निविदा निविदादाताओ के सामने सेवा प्रबन्धक कार्यालय बरेली में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 22.02.2019 तक किसी भी कार्यालय दिवस में (200+जी0एस0टी0) का भुगतान कर सेवा प्रबन्धक कार्यालय बरेली से प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदाओ/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। **निविदा के बन्द लिफाफे के ऊपर किस स्थान की निविदा डाली जा रही है उसका स्पष्ट अंकन होना चाहिये। साथ ही प्रत्येक स्थान की निविदा अलग–अलग डालना अनिवार्य होगा।** 03 वर्ष उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः अनुबन्ध एक–एक वर्ष के प्रस्ताव किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

| क0सं0 | कार्यशाला/बस स्टेशन का नाम | क्षमता | जनरे0 संचा0 का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | पुराना बस स्टेशन बरेली। | 63 KVA | 24 घन्टे |
| 2 | क्षेत्रीय कार्यशाला बरेली | 100 KVA | 24 घन्टे(आवश्यकतानुसार) |
| 3 | टायरशॉप बरेली | 100 KVA | 24 घन्टे(आवश्यकतानुसार) |

**शर्तेः–**

1. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिवसों के अन्दर जनरेटर सेट लगाया जाना अनिवार्य होगा(जिसके लिये निगम द्वारा कोई भी प्रपत्र/ईबेविल जारी नही किया जायेगा) किन्तु उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
2. जनरेटर का संचालन एंव मेन्टीनेन्स कलपुर्जो सहित निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
3. जनरेटर में प्रयुक्त होने वाले डीजल एवं इंजन आयल आदि का व्यय निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा जनरेटर के मासिक किराये की दरें तथा प्रति घन्टे डीजल की खपत को निविदा में दर्शाना अनिवार्य होगा।
5. किराये पर लगे जनरेटर में इलैक्ट्रानिक मीटर लगा (Inbuilt) होना चाहिये, ताकि टैम्परिंग न की जा सके।
6. स0क्षे0प्र0 डिपोज/वरिष्ठ अग्रजन/स्टेशन अधीक्षक द्वारा बिल सत्यापित व प्रति हस्ताक्षरित बिल प्राप्त होने पर जनरेटर के मासिक किराये/बिल का भुगतान किया जायेगा।
7. डीजल खपत आपके द्वारा प्रस्तावित एवं समिति द्वारा सर्वे में प्राप्त जो भी कम हो, के आधार पर डीजल के बाजार मूल्य पर जनरेटर के संचालित धण्टो के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः पेज 02 पर................

Downloaded from www.upsrtc.com

8. कुल कितने धंटे बिजली नही आयी इसका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा और उस पर प्रतिहस्ताक्षरी वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी से कराये जायेगे।
9. समस्त करों का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा।
10. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा जनरेटर लगाने के बाद प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
11. यदि जनरेटर नही चलता है तो प्रति धंटा रू0 500/– की कटौती उनके देयको से कर ली जायेगी।
12. प्रत्येक इकाई हेतु पृथक–पृथक जमानत के रूप में धनराशि रू0 10000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का अर्नेस्टमनी का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली के नाम से प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
14. दोनो पक्षो में किसी भी विवाद होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन का निस्तारण का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय में निहित होगा
15. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निस्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकताएं निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।

**सेवा प्रबन्धक**
**बरेली।**

**कार्यालय सेवा प्रबन्धक**
**उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली।**

**पत्रांकः–बीआर/एसएम/निविदा–जनरेटर/2019** 233 **दिनांक** 11/02/19

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. प्रधान प्रबन्धक (विविध/एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली।
3. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली।
4. सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को बेबसाइट पर विज्ञाप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली/रूहेलखण्ड/पीलीभीत/बदायूँ डिपो को इस आशय से प्रेषित कि वह समस्त बस स्टेशनो के नोटिस बोर्डो पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. नोटिस बोर्ड–क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन।

**सेवा प्रबन्धक**
**बरेली।**

Downloaded from www.upsrtc.com